International Journal of Sociology and Political Science
www.sociologyjournal.in
Online ISSN: 2664-7745, Print ISSN: 2664-7737
Received: 03-09-2025, Accepted: 02-10-2025, Published: 17-10-2025
Volume 7, Issue 4, 2025, Page No. 29-34

महिला सशक्तिकरण पर मनरेगा योजना का प्रभाव

अजय कुमार निराला
शोधार्थी, ICSSR Doctoral Fellow, समाजशास्त्र एवं सामाजिक मानवशास्त्र विभाग अनुग्रह नारायण सिंह समाज अध्ययन संस्थान आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना, बिहार, भारत

सारांश
भारतीय संसद ने सितम्बर 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित किया। इसे 5 सितम्बर को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और 7 सितम्बर को अधिसूचित किया गया। यह योजना शुरू में 200 पिछड़े जिलों में शुरू की गई थी और बाद में 1 अप्रैल 2008 से इसे अन्य 130 जिलों तक विस्तारित कर दिया गया। यह योजना 2 अक्टूबर को सभी जिलों में शुरू की गई थी और इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) कर दिया गया है। यह कानूनी अधिकार के रूप में काम करने के अधिकार को सुनिश्चित करता है। यह राज्य द्वारा शुरू की गई सबसे बड़ी मांग आधारित योजना है।
यह अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में प्रचलित न्यूनतम मजदूरी पर 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करता है। यह अधिनियम पुरूष और महिला दोनों के लिए समान मजदूरी दर सुनिश्चित करता है, यह लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एक अच्छी तरह से डिज़ाइन किए गए रोजगार कार्यक्रम में रोजगार की मात्रा बढ़ाने की क्षमता होती है जिससे गरीब–हितैषी विकास को बढ़ावा मिलेगा, ग्रामीण क्षेत्रों में आय सृजन और महिला सशक्तिरकण पर गुणात्मक प्रभाव पड़ेगा।
प्रस्तुत शोध अध्ययन का अध्ययन क्षेत्र बिहार के वैशाली जिला का चयन किया गया है। क्योंकि ग्रामीण विकास विभाग के मनरेगा महिला भागीदारी प्रदर्शन जिला में वैशाली जिला प्रथम स्थान पर था (ग्रामीण विकास विभाग रिपोर्ट 2023)। वैशाली जिले से एक प्रखंड का चयन मनरेगा में महिला पंजीकरण की संख्या के आधार पर किया गया है, और चयनित प्रखंड से दो पंचायत का चयन दैव निदर्शन विधि के आधार पर किया गया है। प्रत्येक पंचायत से मनरेगा में पंजीकृत जनसंख्या के आधार पर दो–दो गांवों का चयन किया गया है। प्रत्येक गांव से 30 उत्तरदाताओं का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन विधि के किया गया है। कुल उत्तरदाताओं की संख्या 120 होगा।

मूलशब्दः सशक्तिकरण, विकास परियोजना, रोजगार गारंटी अधिनियम और आत्मनिर्भर

परिचय
भारतीय संसद ने सितम्बर 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित किया। इसे 5 सितम्बर को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और 7 सितम्बर को अधिसूचित किया गया। यह योजना शुरू में 200 पिछड़े जिलों में शुरू की गई थी और बाद में 1 अप्रैल 2008 से इसे अन्य 130 जिलों तक विस्तारित कर दिया गया। यह योजना 2 अक्टूबर को सभी जिलों में शुरू की गई थी और इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) कर दिया गया है। यह कानूनी अधिकार के रूप में काम करने के अधिकार को सुनिश्चित करता है। यह राज्य द्वारा शुरू की गई सबसे बड़ी मांग आधारित योजना है। यह अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में प्रचलित न्यूनतम मजदूरी पर 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करता है। यह अधिनियम पुरूष और महिला दोनों के लिए समान मजदूरी दर सुनिश्चित करता है, यह लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एक अच्छी तरह से डिज़ाइन किए गए रोजगार कार्यक्रम में रोजगार की मात्रा बढ़ाने की क्षमता होती है जिससे गरीब–हितैषी विकास को बढ़ावा मिलेगा, ग्रामीण क्षेत्रों में आय सृजन और महिला सशक्तिरकण पर गुणात्मक प्रभाव पड़ेगा।
अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों में साइट चयन, कार्यो का चयन, पालना गृह (शिशु गृह) सुविधाएं, पेयजल, कार्यस्थल पर प्राथमिक चिकित्सा, चोट के मामले में चिकित्सा उपचार और योजना मे कार्य के दौरान मृत्यु या विकलांगता के कारण अनुग्रह भुगतान के लिए वर्ष में कम से कम दो बार ग्राम सभा की बैठक बुलाना शामिल है। मस्टर रोल की जांच करने का अधिकार, आवेदन जमा करने के 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध न होने पर बेरोजगारी भत्ते का अधिकार, सामाजिक अंकेक्षण, ग्राम सतर्कता समिति, बैंक और डाकघर के माध्यम से मजदूरी का भुगतान, कम से कम एक तिहाई महिला लाभार्थी आदि अधिनियम के प्रमुख प्रावधान हैं। ये प्रावधान सहभागी विकास, सामान्य रूप से कमजोर वर्ग और विशेष रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण को सुनिश्चित करता हैं (भारत सरकार, 2008:194)। उपरोक्त उपाय ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक–आर्थिक स्थिरता और महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करते हैं।
मनरेगा की विकास क्षमता गरीब मजदूरों को आजीविका का वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराना, जिलों से पलायन में कमी लाना, शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय बढ़ाना है, जिससे विशेष रूप से सहभागी विकास और महिला सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य लिंग संबंधों में परिवर्तन और लैंगिक असमानताओं में कमी से है। परिसंपत्ति स्वामित्व और आर्थिक भागीदारी महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के दो घटक हैं, जो सत्ता संबंधों को अपने पक्ष में बदलने का आत्मविश्वास और क्षमता प्रदान करते हैं। उत्पादक परिसंपत्तियों और आय पर स्वामित्व और नियंत्रण का अभाव, लैंगिक समानता, विकास परिणामों और समावेशी आर्थिक विकास को प्रभावित करता है (केलकर, 2011)।
मनरेगा की अनिवार्यताओं में से एक है, महिलाओं को कम से कम एक तिहाई रोजगार उपलब्ध कराना तथा मजदूरी में लैंगिक समानता सुनिश्चित करना। यह योजना ग्रामीण गरीबों, विशेषकर महिलाओं के लिए सम्मानजनक तरीके से जीविका कमाने का एक मूल्यवान अवसर है (द्रेज, 2008)। पंकज और तन्खा ने पाया कि स्वतंत्र कमाई के कारण महिला सशक्तिकरण महत्वपूर्ण परिणाम के रूप में उभरा है। उन्होंने घरेलू आय में ठोस योगदान दिया है और इसने उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया है। योजना ने महिलाओं की ऋण और वित्तीय संस्थानों

तक पहुँच बढ़ा दी है। बैंकों और डाकघरों के माध्यम से मजदूरी भुगतान के अनिवार्य प्रावधान से बड़ी संख्या में महिलाएं संस्थागत वित्त के दायरे में आ गयी हैं (साह, 2008)।
मनरेगा योजना की महिला कर्मियों ने कहा कि इस योजना से उन्हें अधिक आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मविश्वास मिला है तथा वे सशक्त महसूस कर रही हैं (जन्दु, 2008)। अब वे अपनी आय का उपयोग भोजन और उपभोग की आवश्यकताओं, स्वास्थ्य देखभाल और अपने बच्चों की शिक्षा के लिए स्वतंत्र रूप से कर सकती हैं। एक सर्वेक्षण से पता चला है कि 79 प्रतिशत महिला कर्मचारी अपना वेतन स्वयं एकत्रित करती हैं तथा 68 प्रतिशत अपना वेतन अपने पास ही रखती हैं (Frontline, 2009; 13)। मानव विकास संस्थान के द्वारा उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में किए गए एक अन्य अध्ययन से पता चलता है कि 68:48 प्रतिशत महिला श्रमिकों के नाम पर बैंक और डाकघर में खाते हैं, 82 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि वे स्वयं ही अपने खाते का संचालन करती हैं (IHD, 2011)।

साहित्य समीक्षा

अम्बष्टा एवं अन्य (2008) के अनुसार घर–घर जाकर रोजगार कार्ड के लिए श्रमिकों का पंजीकरण एवं जिले भर में जागरूकता फैलाने जैसी गतिविधियों के जरिए सीएसओ ने योजना के तहत रोजगार की मांग और ग्राम सभा में महिलाओं की भागीदारी दोनों को बढ़ाया है।

अधिकारी और भाटिया (2010) के अनुसार इन्होंने अपने लेख में लिखा है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत मिलने वाली मजदूरी सीधे महिलाओं के खातें में ना आकर उनके पतियों के खाते में जाती है जिससे उनका पूर्ण सशक्तिकरण नहीं हो पाया है जिससे कि वह स्वतंत्र रूप से आर्थिक निर्णय ले सके।

राय, ज्योतिर्मय (2012) के अनुसार इन्होंने अपने लेख में लिखा है कि मनरेगा योजना ने देशभर में फैले गांवों के लोगों की तकदीर ही बदल दी है। जहां इस योजना ने महिलाओं को पुरूषों के समान पारिश्रमिक कमाने का अभूतपूर्व अवसर दिया है वहीं आर्थिक रूप से स्वावलंबी होने पर महिलाओं को परिवार के आर्थिक मामलों में स्वायतत्ता से फैसले लेने का भी मौका मिला है।

कांत और अश्विन (2013) के अनुसार इन्होंने उत्तर प्रदेश में मनरेगा योजना में शामिल में महिलाओं की भागीदारी का अध्ययन किया और पाया कि मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी 33.33 प्रतिशत से अधिक है, जो सराहनीय था। इसके अलावा महिला लाभार्थी अधिक संतुष्ट थी, क्योंकि उन्हें पुरूषों के समान मजदूरी मिल रही थी, साथ –साथ ही वह आर्थीक रूप से भी स्वतंत्र थी।

लावणा और मुहिमा (2013) ने पलक्कड़ में मनरेगा में शामिल महिलाओं का अध्ययन किया, और देखा कि मनरेगा में शामिल महिला लाभार्थी आर्थिक रूप से स्वतंत्र हुए है और साथ–ही–साथ इस कार्यक्रम ने महिला लाभार्थियों के लिए आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की नींव रखी है।

भुवाना (2013) के अनुसार, इन्होंने कर्नाटक के बंगलुरू जिलें के ग्रामीण क्षेत्रों महिला लाभार्थियों पर मनरेगा के प्रभावों का अध्ययन किया। इन्होंने अपने अध्ययन में महिला लाभार्थियों से साक्षात्कार विधि के आधार पर मनरेगा के बारे में पूछा तो महिला लाभार्थियों ने कहा कि मनरेगा वर्क साइट पर सुविधाओं की बहुत कमी है, मनरेगा मजदूरी भी बहुत देर से प्राप्त होता है, साथ ही साथ जॉब कार्ड मिलने भी बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस अध्ययन के आधार पर लेखक ने सुझाव दिया है कि मनरेगा योजना के तहत रोजगार के दिनों को बढ़ाया जाये साथ ही साथ मनरेगा वर्क साइट पर मुलभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी जाये।

विनीता, कुलश्रेष्ठा और उपाध्याय (2013): के अनुसार, इन्होंने हरियाणा के रोहतक जिले में महीला सशक्तिकरण पर मनरेगा के महत्व का मूल्यांकन किया। मनरेगा योजना महिलाओं के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ है, इस योजना के तहत महिलाओं को अधिक रोजगार मिला है, जिससे वह आर्थिक रूप से सशक्त हुए, और कोई निर्णय स्वयं लेती है।

पंकज, अशोक और तंखा, रूकमिणी (2014): ने अपने लेख पत्र में महिला सशक्तिकरण पर मनरेगा के प्रभाव का अध्ययन चार राज्यों बिहार, झारखंड, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में विश्लेषण के आधार पर लिखे है कि महिलाओं की आय प्राप्ति, घरेलु प्रभाव और पहले की तुलना में पसंद और क्षमता में वृद्धि के माध्यम से नगद भुगतान के कारण अधिक अवसर प्राप्त हुए है।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तावित शोध लेख का मुख्य उद्देश्य मनरेगा योजना के तहत काम करने वाली महिलाओं की बदलती सामाजिक–आर्थिक स्थिति और ग्रामीण समाज पर इसके परिणामी प्रभावों का विश्लेषण करना है। प्रस्तुत शोध लेख का विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार हैः–

1. बिहार राज्य में मनरेगा योजना की प्रक्रिया और कार्यान्वयन के स्तर का विश्लेषण करना।
2. महिला श्रमिकों और उनके परिवारों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति पर योजना के प्रभाव का आकलन करना।
3. अपने परिवार और समाज में निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिला श्रमिकों की भागीदारी के स्तर का आकलन करना।
4. योजना के क्रियान्वयन के विभिन्न स्तरों पर महिलाओं की जागरूकता और भागीदारी के स्तर का पता लगाना।

अध्ययन पद्धति

अध्ययन के लिए वैशाली जिलें का चयन किया गया है। क्योंकि बिहार में मनरेगा योजना प्रदर्शन रैंकिंग जिलों में जमुई, मुंगेर और गया के बाद वैशाली चौथे स्थान पर है। लेकिन महिला रोजगार की दृष्टि से यह सभी उल्लेखित जिलों में पहला है, जो 60 प्रतिशत से ऊपर है (ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार, मार्च, 2023)। वैशाली जिले के 16 प्रखण्डों में एक का चयन योजना के प्रदर्शन और महिला रोजगार के उच्चतम प्रतिशत के आधार पर किया गया है। उपरोक्त कारकों को ध्यान में रखते हुए प्रखंड से दो पंचायतों का चयन किया गया है। प्रत्येक पंचायत से 60 उत्तरदाताओं का चयन यादृच्छिक नमूना आधार पर किया गया है। इस अध्ययन में क्षेत्र की सभी सामाजिक श्रेणियों को शामिल करने का प्रयास किया गया है, जिसमें महिला श्रमिकों पर विशेष जोर दिया गया है। कुल उत्तरदाताओं की संख्या 120 है।

आंकड़ों और उपकरणों का स्रोत

आंकडे प्राथमिक और द्वितीयक दोनों स्रोतों से एकत्रित किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार और ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार की वार्षिक रिपोर्ट, विभिन्न स्रोतों की सर्वेक्षण रिपोर्ट, पुस्तकें, साहित्य और विषय पर लेख द्वितीयक आंकड़ों के प्रमुख स्रोत है।
प्राथमिक आंकड़ें गैर–प्रतिभागी अवलोकन और अर्ध–संरचित साक्षात्कार अनुसूचियों के साथ–साथ व्यक्तिगत और समूह चर्चा के माध्यम से एकत्र किया गया है।

बिहार की जननांकिय विवरण

2011 की जनगणना के अनुसार, बिहार की कुल जनसंख्या 104,099,452 है। यह राज्य भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। यहां पर कुल जनसंख्या का 89 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या है। यह राज्य भारत के सबसे घनी आबादी वाला राज्य है, जिसकी जनसंख्या घनत्व 1,106 प्रति व्यक्ति है। इस राज्य का शिक्षा दर 62.82 प्रतिशत, महिला साक्षरता दर 53.33 प्रतिशत, लिंगानुपात 918 और शिशु लिंगानुपात 935 है (**जनगणना 2011**)।

वैशाली जिला का जननांकिय विवरण

2011 की जनगणना के अनुसार, वैशाली जिला का कुल जनसंख्या 34,95,021 है, जिसमें पुरूष और महिला जनसंख्या क्रमशः 1844535 और 1650486 है। इस जिले का जनसंख्या घनत्व 1335 प्रति वर्ग कि0मी0 है। जिले का लिंगानुपात 895, साक्षरता दर 66.60 प्रतिशत है। वैशाली जिला में 3 अनुमंडल, 16 प्रखंड, 291 ग्राम पंचायत और 1638 गांव है (जनगणना 2011)।

प्रखंड का चयन

प्रस्तुत शोध लेख का अध्ययन क्षेत्र सहदई बुजूर्ग प्रखण्ड को चुना गया है, क्योंकि मनरेगा योजना के अंतर्गत महिलाओं का पंजीकरण 46.27 (31810) प्रतिशत है, जो वैशाली जिला के अंतर्गत प्रखण्डों में सबसे अधिक है (www.mgnrega.nic.in, FY-2024-2025)।

पंचायत का चयन

सहदई बुजूर्ग प्रखण्ड के अंतर्गत 11 पंचायत है, जिसमें से दो पंचायतों बजिदपुर चक कस्तुरी पंचायत और नया गांव पश्चिमी पंचायत का चयन मनेरगा योजना के अंतर्गत निर्गत जॉब कार्ड के आधार पर किया गया है। क्योंकि इन पंचायतों में मनरेगा योजना के तहत सबसे अधिक जॉक कार्ड निर्गत किया गया है (www.mgnrega.nic.in)।

1. पंचायतों और गांवों में उत्तरदाताओं का विवरण

जिला का नाम	प्रखण्ड का नाम	पंचायत का नाम	गांव का नाम	उत्तरदाताओं की संख्या
वैशाली	सहदई बुजूर्ग	बजिदपुर चक कस्तुरी	इब्राहिमपुर शिवदर्शन	30
			रसलपुर जिलानी	30
		सॅल्हा	दुधा	30
			ददनपुर	30
			कुल	120

बजिदपुर चक कस्तुरी पंचायत का संक्षिप्त विवरण

.	कुल	पुरूष	महिला
कुल परिवार की संख्या	2,029		
कुल जनसंख्या	10,714	5,678	5,036
अनुसूचित जाति	1,826	932	894
अनुसूचित जनजाति	64	38	26
साक्षर जनसंख्या	6,134	3,781	2,353
कुल कर्मियों की संख्या	3,567	2,845	722
मुख्य कर्मियों की संख्या	2,599	2,215	384
सीमांत कर्मियों की संख्या	968	630	338

स्रोतः www.districthandookvaishali.co.in

सल्हा उर्स महुउद्दीन पंचायत का संक्षिप्त विवरण

.	कुल	पुरूष	महिला
कुल परिवार की संख्या	583		
कुल जनसंख्या	2ए977	1ए551	1ए426
अनुसूचित जाति	497	260	237
अनुसूचित जनजाति	3	3	0
साक्षर जनसंख्या	1ए670	1ए004	666
कुल कर्मियों की संख्या	752	614	138
मुख्य कर्मियों की संख्या	455	404	51
सीमांत कर्मियों की संख्या	297	210	87

स्रोतः www.districthandookvaishali.co.in

उत्तरदाताओं की सामाजिक–आर्थिक विवरण

यह खंड सर्वेक्षित पंचायतों में मनरेगा महिला लाभार्थियों के सामाजिक–आर्थिक स्थिति के विश्लेषण से संबंधित है। इसमें लाभार्थियों की आयु, पारिवार की आय, परिवार का प्रकार, शिक्षा, भूमि जोत का आकार एवं रोजगार के दिनों की संख्या को दर्शाया गया है, जो उनकी आजीविका के तौर–तरीके की स्थिति पर केन्द्रित है।

आयु

1. आयु के आधार पर लाभार्थियों का विवरण

तालिका 1: को देखने से पता चलता है कि, 48 प्रतिशत मनरेगा महिला लाभार्थी 18–35 वर्ष आयु वर्ग के है, 35 प्रतिशत लाभार्थी 36–50 के बीच है, तथा 17 प्रतिशत लाभार्थी 50 या उससे से अधिक आयु वर्ग के बीच के है।

वर्ग–समूह	महिला लाभार्थी	
	संख्या	प्रतिशत
18–35	58	48
36–50	42	35
50 से अधिक	20	17
कुल	120	100

स्रोतः सर्वेक्षित आंकड़े

जाति

2. जाति के आधार पर महिला लाभार्थियों का विवरण

तालिका 2: से पता चलता है कि 56 प्रतिशत महिला मनरेगा लाभार्थी अनुसूचित जाति से है, 27 प्रतिशत महिला लाभार्थी अत्यंत पिछड़ी जाति से है, तथा 17 प्रतिशत पिछड़ी जाति से हें

जाति–समूह	महिला लाभार्थी	
	संख्या	प्रतिशत
सामान्य	0	0
पिछड़ा वर्ग	20	17
अत्यंत पिछड़ा वर्ग	33	27
अनुसूचित जाति	67	56
कुल	120	100

स्रोतः सर्वेक्षित आंकड़े

पेशा

3. पेशा के आधार पर महिला लाभार्थियों का विवरण

तालिका 3: से स्पष्ट होता है कि मनरेगा महिला लाभार्थियों में 71 प्रतिशत मजदूर है, तथा 29 प्रतिशत कृषक मजदूर है।

वर्ग	महिला लाभार्थी	
	संख्या	प्रतिशत
मजदूर	85	71
कृषक मजदूर	35	29
कृषक व्यावसाय	–	–
अन्य	–	–
कुल	120	100

स्रोतः सर्वेक्षित आंकड़े

वार्षिक–आय

4. वार्षिक–आय के आधार पर महिला लाभार्थियों का विवरण

तालिका 4: के अनुसार, मनरेगा लाभार्थियों में 72.5 प्रतिशत महिलाओं की वार्षिक आय 50,000 के आसपास है, और 27.5 महिला लाभार्थियों की वार्षिक आय 50,001 से 1,00,000 के बीच है।

वर्ग	महिला लाभार्थी	
	संख्या	प्रतिशत
50,000 रू तक.	87	72.5
50,000 रू. से 1,00,000 रू.	33	27.5
1,00,000 रू. से 2,00,000 रू.	–	–
2,00,000 रू. से अधिक	–	–
कुल	120	100

स्रोतः सर्वेक्षित आंकड़े

परिवार का प्रकार

5. परिवारिक प्रकार के आधार पर महिला लाभार्थियों का विवरण

तालिका: 5 से हमें पता चलता है कि महिला मनरेगा लाभार्थियों में 71 प्रतिशत एक परिवार में रहते है, और 29 प्रतिशत संयुक्त परिवार में रहते है।

वर्ग	महिला लाभार्थी	
	संख्या	प्रतिशत
एक परिवार	85	71
संयुक्त परिवार	35	29
कुल	120	100

शिक्षा

6. शिक्षा के आधार पर महिला लाभार्थियों का विवरण

तालिका: 5 से स्पष्ट है कि मनरेगा लाभार्थियों में 32 प्रतिशत महिलायें माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर चुकी है, 27.5 प्रतिशत महिलायें प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर चुकी है, 22 प्रतिशत महिलायें पढना लिखना जानती है, 16 प्रतिशत महिलायें अशिक्षित है और 2.5 प्रतिशत महिलायें उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुकी है।

शिक्षा का स्तर	महिला लाभार्थी	
	संख्या	प्रतिशत
अशिक्षित	19	16
पढ़ना–लिखना	26	22
प्राथमिक शिक्षा	33	27.5
माध्यमिक शिक्षा	39	32
उच्च शिक्षा	3	2.5
स्नात्तक	–	–
अन्य	–	–
कुल	120	100

स्रोतः सर्वेक्षित आंकड़े

भूमि का आकार

7. भूमि आकार के आधार पर महिला लाभार्थियों का विवरण

तलिका: 6 से पता चलता है कि मनरेगा महिला लाभार्थियों में 71.66 के पास एक एकड़ जमीन है और 28.34 के पास एक एकड़ से दो एकड़ के बीच जमीन है।

वर्ग	महिला लाभार्थी	
	संख्या	प्रतिशत
सीमांत (1.00 एकड तक)	86	71.66
छोटा (1.01 से 2 एकड़ के बीच)	34	28.34
मध्यम (2.01 से 4 एकड़ के बीच)	–	–
बड़ा (4 एकड़ से अधिक)	120	100

स्रोतः सर्वेक्षित आंकड़े

ग्रामीण महिला उत्तरदाताओं के सामाजिक–आर्थिक स्थिति के सुधार में मनरेगा योजना का प्रभाव

प्रस्तुत शोध लेख में मनरेगा योजना के प्रभाव को आश्रित चर के रूप में लिया गया है, और इसका मूल्यांकन स्वतंत्र कारकों के उपयोग करके किया गया है। जिससे यह पता चल सकें कि मनरेगा लाभार्थियों को मनरेगा योजना से लाभ मिला।

1. सामाजिक–आर्थिक स्थिति के सुधार के आधार पर महिला उत्तरदाताओं का विवरण

तालिका: 1 से स्पष्ट होता है कि सामाजिक–आर्थिक प्रभाव के तहत मनरेगा महिला लाभार्थियों में 62.50 प्रतिशत ने कहा कि उनकी आर्थिक स्वतंत्रता में सुधार हुआ है, जबकि 37.50 प्रतिशत ने कहा कि उनकी आर्थिक स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसके अलावा 56. 67 प्रतिशत महिला लाभार्थियों ने कहा है कि उनकी आत्मसम्मान में वृद्धि हुई है, जबकि 43.33 प्रतिशत महिला लाभार्थियों ने कहा कि उनकी आत्मसम्पान में कोई सुधार नहीं हुआ है।

क्र.सं.	विवरण	हाँ		नहीं	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	क्या आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हुई है?	75	62.50	45	37.50
2.	आपके आत्म सम्मान में सुधार हुआ है?	68	56.67	52	43.33
3.	क्या आपकी घरेलू निर्णय लेने में भागीदारी बढ़ी है?	72	60.00	48	40.00
4.	क्या आप मजदूरी के पैसे की बचत करती है?	88	73.33	32	26.67
5.	बच्चों के लिए शिक्षा की संभावनाओं में वृद्धि हुआ है	73	60.83	47	39.17
6.	क्या आप कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक हुई है?	71	59.16	49	40.84
7.	क्या आप संवैधानिक विशेषधिकारों को समझती है?	69	57.50	51	42.50
8.	घरेलू वस्तुओं, रसोई के समान और उकरणों को खरीदने की क्रय शक्ति में वृद्धि हुई है?	74	61.67	46	38.33

9.	क्या आप अपने बच्चों का नामांकन स्कूलों में कराने में सक्षम है?	77	64.16	43	35.84
10	क्या आप सामाजिक गतिविधियों में भाग लेती हैं?	76	63.33	44	36.67
11	क्या आप अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने में योगदान देती है।	65	54.17	55	45.83
12	क्या आपको कृषि श्रम अधिनियम 1948 के अनुसार न्यूनत्तम मजदरी दी जाती है?	97	80.83	23	19.17
13	मनरेगा योजना में शामिल होने के बाद आपके खान–पान में कोई अंतर आया है?	72	60.00	48	40.00

- घरेलू निर्णय लेने के संबंध में, 60 प्रतिशत मनरेगा महिला लाभार्थियों ने कहा है कि उनकी भागीदारी घरेलू निर्णय लेने में वृद्धि हुई है, जबकि 40 प्रतिशत लाभार्थियों ने कहा है कि उनकी भागीदारी घरेलू निर्णय लेने में को सुधार नहीं हुआ है। इसके अलावा, 73.33 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं ने कहा है कि वह अपनी मजदूरी में से कुछ पैसे बचाती है, जिससे कि वह आगे चलकर जरूरत पड़ने पर उस पैसे का उपयोग कर सकें, तथा 26.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वह अपने मजदूरी में से पैसे को नहीं बचा पाती है।
- जब उनसे उनके बच्चों की शिक्षा की संभावनाओं के बारें में पूछा गया तो, 60.83 प्रतिशत महिला लाभार्थियों ने कहा है कि मनरेगा योजना के आने से उनके बच्चों की शिक्षा दिलाने की संभावनाओं में वृद्धि हुआ है, जबकि 39.17 प्रतिशत महिला लाभार्थियों ने कहा कि उनके बच्चों की शिक्षा की संभावनाओं में कोई सुधार नहीं हुआ है।
- जब उनसे कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूकता के बारें में पूछा गया तो, 59.16 प्रतिशत महिला मनरेगा लाभार्थियों ने कहा कि वह कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक है, जबकि 40.84 प्रतिशत ने कहा कि वह कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक को नहीं है। इसके अलावा, संवैधानिक विशेषधिकारों के बारें में पूछा गया तो 57.50 प्रतिशत महिला लाभार्थियों ने कहा कि वह संवैधानिक विशेषधिकारों को समझती है, जबकि 42.50 प्रतिशत ने कहा कि वह संवैधानिक विशेषाधिकार को नहीं समझती है।
- अध्ययन के तहत जब उनसे घरेलू वस्तुओं, रसोई के समान और उकरणों को खरीदने के बारें में पूछा गया तो, 61.67 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं ने कहा कि वह अपने घर के वस्तुओं एवं रसोई का समान स्वयं खरीदती है, जबकि 38.33 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं ने कहा कि वह अपने घर का समान खरीदने में सक्षम नहीं है। इसके अलावा, 64.16 प्रतिशत महिला लाभार्थियों ने कहा कि वह अपने बच्चों का विद्यालय में नामांकन कराने में सक्षम है, जबकि 35.84 प्रतिशत महिला लाभार्थियों ने कहा कि वह अपने बच्चों का नामांकन कराने में सक्षम नहीं है।
- सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने के बारें में पूछा गया तो, 63.33 प्रतिशत महिला लाभार्थियों ने कहा कि वह सामाजिक गतिविधियों में भाग लेती है, जबकि 36.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वह सामाजिक गतिविधियों में भाग नहीं लेती है। और 54.17 प्रतिशत मनरेगा लाभार्थियों ने कहा कि वह अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने में योगदान देती है, जबकि 45.83 प्रतिशत ने कहा कि वह अपने परिवार की आवश्यकताओ को पूरा करने में कोई योगदान नहीं देती है।
- 80.83 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं ने कहा कि मनरेगा योजना में कृषि श्रम अधिनियम 1948 के अनुसार न्यूनत्तम मजदरी मिलती है, जबकि 19.17 प्रतिशत ने कहा कि नहीं मिलता है। तथा 72 प्रतिशत महिला लाभार्थियों ने कहा है कि मनरेगा योजना में शामिल होने के बाद आपके खान–पान परिवर्तन आया है, जबकि 28 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

निष्कर्ष

उपर्युक्त निष्कर्ष के आधार पर हम कह सकते है कि ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति को सुधारने में मनरेगा योजना का सकारात्मक प्रभाव रहा है। मनरेगा योजना में काम करने वाली अधिकांश महिलाओं ने कहा है कि इस योजना में करने से उनकी आत्मसम्मान में वृद्धि हुई है, साथ ही साथ उन्हें घर में भी पुरूषों के समान समझा जाता है। वह अपने परिवार में आर्थिक भागीदार के रूप में अपनी भूमिका निभाती है।

मनरेगा योजना में काम करने वाली महिलाओं ने कहा है कि इस योजना के आने से वह अब अपने घर के चार दिवारी से बारह निकलकर काम करने जाती है, उन्हें इस योजना के तहत कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है, उन्हें पुरूषों के समान मजदूरी उन्हें भी दिया जाता है। मनरेगा योजना के तहत मिलने वाले मजदूरी महिलाऐं अब अपने बच्चों को विद्यालय में नामांकन करा रही है, वह अपने घर के लिए जरूरी समान भी खरीदती है।

कुल मिलाकर कहा जाये तो मनरेगा योजना ने महिलाओं को पूंर्ण रूप से सशक्त बनाया है। वह अब कही भी आसानी से जा सकती है। वह अब अपने अधिकारों के लिए पूर्णरूप से जागरूक हो चुकी है।

आभार

मैं अनुग्रह नारायण सिंह सामाजिक अध्ययन संस्थान (आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय), पटना और भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICSSR), नई दिल्ली को वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान करने के लिए ईमानदारी से धन्यवाद देता हूँ।

संदर्भ सूची

1. Ambasta P, Shankar PSV, Shah M. Two Years of NREGA: The Road Ahead. Economic & Political Weekly,2008:43(8):41–50.
2. Adhikari A, Bhatiya K. NREGA Wage Payment: Can be Bank on the Bank. Economic & Political Weekly,2010:45(1):30–37.
3. Sharma VK, Kumar A. Women Empowerment through Rural Employment in Utter Pradesh. International Journal of Engineering and Management Science,2013:4(2):144–148.
4. Lavanya VL, Mahima S. Employment of Rural Women through MGNREGA with spcial refernce to Palakkad. Zenith International Journal of Multidisciplinary Research,2013:2(7):271–276.
5. Bhuwana N. Impact of MGNREGA Programme an Women Beneficiaries in Banglore Rural Disteict, 2013.
6. Arora V, Kulshreshtha LR, Upadhaya V. Mahtama Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme: A Unique Scheme for Indian Rural Women. International Journal of Economic Practices and Theories,2013:3(2):108–114.
7. Dreze J. NREGA: Ship without Rudder? The Hindu,2008,19 July.
8. FRONTLINE, 2009, 26(1).
9. Government of India. The National Rural Employment Guarantee Act 2005, Operational Guidelines. Ministry of Rural Development, New Delhi, 2008, Third Edition.

10. Kellar G. MGNREGS: Change and Continuity in Gender Relations. Journal of Economic and Social Development, 2011, 7(2).
11. Pankaj AR, Tankha. Empowerment Effects of the NREGS on Women Workers: A Study in Four States. Economic and Political Weekly, 2010, 45(30).
12. Shah M. MGNREGA Sameeksha, an Anthology of Research Studies on the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005–06–2012. Ministry of Rural Development, Government of India, 2012.